प्रेषक,

अशोक कुमार सिंह–III,
जनपद न्यायाधीश,
फतेहपुर।

सेवामें,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांकः 667 /XV : फतेहपुर : दिनांक : अप्रैल 12, 2021

विषयः दीवानी न्यायालय परिसर फतेहपुर को दिनांक 13 व 14.04.2021 को कोविड–19 की गाइडलाइंस के अनुसार संक्रमण से बचाव हेतु बन्द किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मान अवगत कराना है कि कल दिनांक 12.04.2021 को मेरे प्रसंज्ञान में यह तथ्य लाया गया कि ग्राम न्यायालय बिन्दकी फतेहपुर के न्यायाधिकारी श्री अतुल पाल कोविड–19 धनात्मक पाये गये और वह न्यायालय परिसर स्थित मुख्यालय के कई न्यायिक अधिकारियों के सम्पर्क में आयें है इसलिए मुख्य चिकित्साधिकारी फतेहपुर को मौखिक रूप से सभी अधिकारियों के कोविड–19 टेस्ट के लिए टीम भेजने का आग्रह किया गया। मुख्य चिकित्साधिकारी फतेहपुर द्वारा भेजी गयी कोविड की टेस्टिंग टीम ने टेस्ट करने के दौरान पॉच न्यायिक अधिकारियों व आठ कर्मचारियों का एण्टीजेन टेस्ट धनात्मक पाया। मुख्य चिकित्साधिकारी व जिलाधिकारी की लिखित राय के अनुसार न्यायालय परिसर को दो दिनों के लिए बन्द करके सेनेटाइजेशन कराया जाना आवश्यक है इसलिए मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 1941/LXXX VII-CPC/e-Courts/Allahabad दिनांकित अप्रैल 05, 2021 में दी गयी गाइडलाइंस के क्रमांक 8 व 9 के प्रकाश में सिविल कोर्ट परिसर फतेहपुर को दिनांक 13 व 14 अप्रैल 2021 के लिए बन्द कर दिया गया है। प्रशासनिक आदेश व मुख्य चिकित्साधिकारी फतेहपुर व जिलाधिकारी फतेहपुर के पत्रों की प्रतियॉ इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि स्थिति से माननीय न्यायालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

सादर।

भवदीय,

संलग्नक–यथोक्त ।

दिनांक 12.04.2021

(अशोक कुमार सिंह–III)
जनपद न्यायाधीश,
फतेहपुर।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश फतेहपुर।

प्रशासनिक आदेश संख्या 70/IV सन 2021 दिनांकः अप्रैल 12, 2021

आदेश

मुख्य चिकित्साधिकारी फतेहपुर ने पत्रांक मु0चि0अ0 / कोविड –19 / 2021–22 / 114 दिनांकित 12.04.2021 के माध्यम से आज दिनांक 12.04.2021 को रात्रि लगभग 8:00 बजे अवगत कराया कि कोविड–19 टेस्ट केलिए जनपद न्यायालय परिसर हेतु भेजी गयी टीम द्वारा एण्टीजेन टेस्ट के दौरान पॉच न्यायिक अधिकारियों एवम 08 कर्मचारियों का एण्टीजेन टेस्ट धनात्मक पाया गया है। मुख्य चिकित्साधिकारी ने मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 356 / पॉच–5–2021 दिनांक 02.03.2021 का उल्लेख करते हुए लिखा है कि कार्यस्थल को विसंक्रमित करने के लिए 48 घण्टे के पश्चात कार्यस्थल पर फिर से कार्य शुरू किया जा सकता है। मुख्य चिकित्साधिकारी ने न्यायालय परिसर को 48 घण्टे की अवधि के लिए बन्द किया जाना आवश्यक बताया है तथा साथ ही साथ कोविड–19 संक्रमण रोकने के लिए जनपद न्यायालय फतेहपुर के सम्पूर्ण परिसर न्यायालय, कार्यालय एवम सम्पूर्ण अधिवक्ता शेडों को सेनेटाइजेशन कराने की राय दी है।

जिलाधिकारी फतेहपुर के पत्रांक 466 / एस0टी0–डी0एम0 दिनांक 12.04.2021 जो कि दिनांक 12.04.2021 को रात्रि में लगभग 10:00 बजे के आस पास प्राप्त हुआ, जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी की राय से सहमति व्यक्त की है और न्यायालय परिसर को दो दिन के लिए बन्द करने की संस्तुति की है।

इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि दिनांक 12.04.2021 को दिन में कोविड–19 के परीक्षण के दौरान पॉच न्यायिक अधिकारियों व आठ कर्मचारियों का एण्टीजेन टेस्ट धनात्मक पाया गया है और मुख्य चिकित्साधिकारी और जिलाधिकारी फतेहपुर की राय के अनुसार जनपद न्यायालय परिसर को दो दिन के लिए बन्द करके सम्पूर्ण कचेहरी,

सेनेटाइजेशन कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों / कर्मचारियों को दिशा निर्देश जारी करें। ग्राम न्यायालय बिन्दकी व वाह्य न्यायालय तहसील खागा पूर्व की भॉति खुले रहेंगें। यहॉ के दोनो न्यायिक अधिकारियों को प्राधिकृत किया जाता है कि वह न्यायालय परिसर, न्यायालय व कार्यालय का सेनेटाइजेशन अपने स्तर से कराना सुनिश्चित करें तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निर्गत पत्र संख्या 1941 / LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad दिनांकित अप्रैल 05, 2021 में दी गयी गाइडलाइंस व मेरे द्वारा इस सम्बन्ध में पारित प्रशासनिक आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

दिनांक 12.04.2021

(अशोक कुमार सिंह–III)
जनपद न्यायाधीश,
फतेहपुर।

<u>प्रतिलिपि</u>–

1. महानिबन्धक माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय जनपद न्यायालय परिसर फतेहपुर।
3. जिलाधिकारी फतेहपुर व मुख्य चिकित्साधिकारी फतेहपुर को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि सम्पूर्ण न्यायालय परिसर, न्यायालय कार्यालय, सम्पूर्ण अधिवक्ता शेडों का सेनेटाइजेशन चिकित्सीय दिशा निर्देशों के अनुरूप कडाई से (strictly as per medical guidelines) नियमित रूप से कराया जाये।
4. समस्त न्यायिक अधिकारी जनपद न्यायालय फतेहपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहपुर।
6. सहायक प्रभारी अधिकारी नजारत जनपद न्यायालय फतेहपुर।
7. न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय बिन्दकी व वाह्य न्यायालय खागा फतेहपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
8. अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बार एसोसियेशन फतेहपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
9. जिला सूचना अधिकारी जनपद फतेहपुर को जनसाधारण के मध्य सूचनार्थ प्रकाशित कराये जाने हेतु।
10. केन्द्रीय नाजिर को सूचनार्थ प्रेषित।

दिनांक 12.04.2021

जनपद न्यायाधीश,
फतेहपुर।

प्रेषक,

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
फतेहपुर।

सेवा में,

मा0 जनपद न्यायाधीश,
फतेहपुर।

विषयः– कोविड–19 एन्टीजेन टेस्ट रिपोर्ट में 05 न्यायिक अधिकारियों व 08 कर्मचारियों के कोविड रिपोर्ट धनात्मक पाये जाने के सम्बन्ध में।

पत्रांकः 466/एस0टी0–डी0एम0 दिनाँक– 12.04.2021

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–660/फतेहपुर दिनांक 12.04.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जनपद न्यायालय में 05 न्यायिक अधिकारियों एवं 08 कर्मचारियों की कोविड–19 रिपोर्ट धनात्मक पाये जाने के कारण न्यायालय को कुछ दिनों तक बन्द करने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फतेहपुर से विचार–विमर्श कर आख्या से अवगत कराने की अपेक्षा की गयी है।

तत्क्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फतेहपुर से आख्या प्राप्त की गयी। मुख्य चिक्तिसा अधिकारी फतेहपुर के पत्र संख्या–मु0चि0अ0/कोविड–19/2021–22 /114 दिनांक 12..04.2021 द्वारा अपनी आख्या में स्पष्ट किया है कि न्यायालय परिसर सेनेटाइजेशन कराते हुए 24 घण्टे एवं उसके पश्चात 48 घण्टे की अवधि तक बन्द किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार परिसर में न्यायिक कार्य उक्त अवधि अर्थात 72 घण्टे के उपरान्त पुनः प्रारम्भ किया जा सकता है।

अतएव मुख्य चिकित्साधिकारी, फतेहपुर की आख्या दिनांक 12.04.2021 संलग्न कर संस्तुति सहित सादर प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

12/04/2021

(अपूर्वा दुबे)
जिलाधिकारी, फतेहपुर।

प्रेषक,

मुख्य चिकित्साधिकारी
फतेहपुर।

सेवा में

मा० जनपद न्यायाधीश
फतेहपुर।

पत्रांकः मु०चि०अ० / कोविड–19 / 2021–22 / 114 दिनांकः 12 / 04 / 2021

विषयः– **कोविड–19 एण्टीजेन टेस्ट रिपोर्ट में पॉच न्यायिक अधिकारियों व आठ कर्मचारियों के कोविड धनात्मक पाये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 661 / XV/ दिनांकः 12 / 04 / 2021 के क्रम में अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी के अधीनस्थ कोविड–19 के टेस्ट के लिए जनपद न्यायालय टीम भेजी गयी थी। उपरोक्त टीमो द्वारा एण्टीजेन टेस्ट किया गया, जिसमें 05 माननीय न्यायाधीश एवं 08 न्यायिक कर्मचारियों की एण्टीजेन टेस्ट धनात्मक पायी गयी। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के पत्र संख्याः 356 / पांच–5–2021 दिनांकः 02 / 03 / 2021 के अनुसार कार्य स्थल को विसंक्रमित करने के 48 घण्टे के पश्चात उक्त स्थल पर फिर से कार्य शुरू किया जा सकता है।

उक्त पत्र में यह भी उल्लिखित किया गया है कि शासन के निर्देशानुसार न्यायालय परिसर में 24 घण्टे में 12 घण्टे के अन्तराल पर 02 बार सेनेटाइजेशन करना आवश्यक है। इस प्रकार आई०सी०एम०आर० प्रोटोकॉल के अनुसार न्यायालय परिसर सेनेटाइजेशन के लिए 24 घण्टे एवं उसके पश्चात 48 घण्टे की अवधि तक बन्द किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार परिसर में न्यायिक कार्य उक्त अवधि अर्थात 72 घण्टे के उपरान्त ही पुनः प्रारम्भ किया जा सकता है। अतः प्रशासन की आवश्यकतानुसार कोविड–19 के संक्रमण को रोकने हेतु जनपद न्यायालय , फतेहपुर के सम्पूर्ण परिसर, न्यायालय, कार्यालय तथा सम्पूर्ण अधिवक्ता शेड का सेनेटाइजेशन कराना आवश्यक हो गया है।

सेवा में सादर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

मुख्य चिकित्साधिकारी
फतेहपुर

पत्रांकः मु०चि०अ० / कोविड–19 / 2021–22 / दिनांकितः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदया, फतेहपुर।
2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद फतेहपुर।
3. जिला सर्विलांस अधिकारी, आई०डी०एस०पी० फतेहपुर।

मुख्य चिकित्साधिकारी
फतेहपुर

Scanned with CamScan